राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक– न0नि0 50–19/2022 4106

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)।

पटना, दिनांक 7 दिसम्बर, 2023

विषयः पंचायत उप निर्वाचन एवं नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 आयोग स्तर से आपूरित किये जाने वाले सामग्रियों एवं जिला स्तर पर क्रय किये जाने वाले सामग्रियों के संबंध में।

प्रसंगः आयोग का पत्रांक 2907 दिनांक 04.08.2021, आयोग का पत्रांक 2449 दिनांक 11. 07.2022 एवं आयोग का पत्रांक 1590 दिनांक 12.05.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लिया जाये। प्रासंगिक पत्र के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 एवं नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 एवं पंचायत/नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 के समय आयोग स्तर से आपूर्ति किये जाने वाली एवं जिला स्तर पर स्वयं व्यवस्था की जाने वाली निर्वाचन सामग्री की सूची संसूचित की गई है। जिसे पंचायत/नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023–24 में भी जिला स्तर से क्रय किये जाने वाली सामग्रियों के संबंध में आधार बनाते हुये आवश्यकतानुसार निर्वाचन सामग्रियों का व्यवस्था किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि आयोग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली निर्वाचन सामग्रियों के अतिरिक्त शेष निर्वाचन सामग्रियों की व्यवस्था जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका/पंचायत) द्वारा अपने स्तर से करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
07/12/23
सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–19/2022 4106 पटना, दिनांक– 7 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि : आई.टी. मैनेजर को आयोग के बेवसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

07/12/23
सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–19/2022 4106 पटना, दिनांक– 7 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/12/23
सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–19/2022 4106 पटना, दिनांक– 7 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/12/23
सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–19/2022 4106 पटना, दिनांक– 7 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/12/23
सचिव।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847 E-mail: secbihar@gmail.com

07/12/23

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक– न0नि0 50–19/2022 2449

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक 11 जून, 2022

विषयः नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022–आयोग स्तर से आपूरित किये जाने वाले सामग्रियों एवं जिला स्तर पर क्रय किये जाने वाले सामग्रियों के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 में मतदान ई.वी.एम. से सम्पन्न कराया जायेगा। उक्त निर्वाचन कार्य सम्पन्न करने हेतु निर्वाचन सामग्रियों की व्यवस्था की जानी है। जिसमें कुछ सामग्री की आपूर्ति आयोग द्वारा एवं शेष अन्य निर्वाचन सामग्रियों की व्यवस्था जिला द्वारा स्वयं किया जाना है। जिला द्वारा स्वयं व्यवस्था की जाने वाली निर्वाचन सामग्री की सूची पत्र के साथ संलग्न है। आयोग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री निम्नवत् है :–

1	मतदाताओं का रजिस्टर
2	अमिट स्याही/मार्कर पेन
3	कंट्रोल यूनिट के लिए एड्रेस टैग
4	बैलट यूनिट के लिए एड्रेस टैग
5	स्पेशल टैग
6	ग्रीन पेपर सील
7	स्ट्रिप सील
8	निविदत्त मतपत्र पर उपयोग हेतु प्लास्टिक वोटिंग स्टिक
9	निर्वाची पदाधिकारी का सेक्रेट सील
10	पिंक पेपर सील (बी0यू0)
11	पिंक पेपर सील (सी0यू0)
12	पीठासीन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका
13	मतगणना संबंधी अनुदेश पुस्तिका
14	ई.वी.एम. मे प्रयुक्त किये जाने वाले पॉवर पैक

2. आयोग स्तर पर उपर्युक्त सामग्रियों का वितरण का कार्यक्रम कालांतर में सूचित किया जायेगा।

संलग्न सूची में अंकित निर्वाचन सामग्रियों की व्यवस्था जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा अपने स्तर से की जायगी।

3. मतदान केन्दों के अनुमोदन के पश्चात सभी नगरपालिकाओं के लिए ई.वी.एम. की आवश्यकता (सुरक्षित सहित) का आकलन आयोग को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाए ताकि ई.वी.एम. की आपूर्ति हेतु आयोग स्तर से आदेश निर्गत किया जा सके।

4. अनुरोध है कि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाये।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सचिव।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847] E-mail: secbihar@gmail.com

(269)

पटना, दिनांक– 11 जून, 2022

ज्ञापांक न0नि0 50–19/2022 2449

प्रतिलिपि : आई.टी. मैनेजर को आयोग के बेवसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव। 11/6/22

पटना, दिनांक– 11 जून, 2022

ज्ञापांक न0नि0 50–19/2022 2449

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव। 11/6/22

पटना, दिनांक– 11 जून, 2022

ज्ञापांक न0नि0 50–19/2022 2449

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव। 11/6/22

30/06/22

मतदान सामग्रियों की सूची
(इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से मतदान सम्पन्न कराया जाना है।)

जिला स्तर पर मतदान हेतु व्यवस्था की जाने वाली निर्वाचन सामग्री (प्रति मतदान केन्द्र के अनुसार)

1.	कंट्रोल यूनिट	3 (अधिकतम)
2.	बैलेट यूनिट	3 (उम्मीदवारों की सं0 पर निर्भर)
3.	मतदाताओं की पर्ची	1
4.	मतदाता सूची की वर्किंग प्रतियाँ	4 (निर्वाचकों की संख्या पर निर्भर)
5.	मतपत्र (निविदत्त मतो के लिए)	20 (प्रत्येक पद के लिए)
6.	स्टाम्प पैड (बैंगनी पर्पल रंग)	2
7	प्रभेदक रबर की मुहर	1
8	पीठासीन पदाधिकारी की डायरी का क्रमांकित प्रपत्र	1
9	वोटिंग कम्पार्टमेंट	3
10	पीठासीन पदाधिकारी के लिए धातु की मुहर (मेटल सील)	1

11 फार्म :–

1.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (पदवार)	1
2.	अभ्याक्षेपित मतों की सूची (प्रपत्र–20)	2
3.	दृष्टिहीन/निःशक्त मतदाताओं की सूची (प्रपत्र–18 ख)	2
4	निविदत्त मतों की सूची (प्रपत्र–19)	2
5.	रिकार्ड किए गए मतों का लेखा (प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग)	3X5=15 या आवश्यकतानुसार
6.	चुनौती दिए गए मतों का शुल्क जमा करने के लिए रसीद पुस्तक	1
7.	पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अभ्याक्षेपित मतदान से संबंधित थाना प्रभारी का दिए जाने वाले शिकायत पत्र का प्रारूप	4
8.	ईवीएम से मतदान प्रारम्भ होने तथा मतदान समाप्त होने के पूर्व पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा का प्रारूप	3
9.	दृष्टिहीन/निःशक्त मतदाताओं के सहायक द्वारा घोषणा (प्रपत्र–18 क)	4
10.	मतदान अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति (प्रपत्र–16)	10
11.	दिखावटी मतदान (मॉक पोल सर्टिफिकेट)	1
12.	चेक लिस्ट	1

12. लिफाफे :–

पर्याप्त संख्या में छोटे एवं बड़े लिफाफे आवश्यकतानुसार प्रयोग हेतु।

1.	छोटा लिफाफा	40
2.	बड़ा लिनेन का स्तर दिया हुआ लिफाफा	4

(जहाँ लिफाफे आकार में छोटे हों, वहाँ पैकिंग पेपर का उपयोग किया जा सकता है, एवं जहाँ मुद्रित लिफाफे उपलब्ध नहीं हो, वहाँ सादे लिफाफे का उपयोग किया जा सकता है तथा उस पर लाल स्याही से प्रयोजन लिख दिया जाएगा।)

13. प्रदर्शन पट (ए–4 साईज में) :–

(क) पीठासीन पदाधिकारी

(ख) मतदान पदाधिकारी

(ग) प्रवेश

(घ) निकास

(ङ) मतदान अभिकर्त्ता

267

14. लेखन एवं अन्य सामग्री :–

1.	सामान्य पेंसिल	1
2.	बॉल पेन	3 नीला 1 लाल
3.	सादा कागज	8 ताव
4.	पिन	25 अदद
5.	सील करने हेतु लाह	6 अदद
6.	गोंद	1 बोतल
7.	ब्लेड	1
8.	मोमबत्ती	4
9.	पतला दोहरा धागा	20 मीटर
10.	मोटा धागा/सूतली	1 बंडल
11.	धातु की पटरी	1
12.	कार्बन पेपर	3
13.	तेल आदि हटाने के लिए कपड़ा या चिथड़ा	3
14.	पैकिंग पेपर	2 ताव
15.	ड्रबिंग पिन	24 अदद
16.	चेक लिस्ट	....
17.	रबड़ बैन्ड	20 अदद
18.	सेलो टेप	1
19.	रद्दी की टोकरी	1
20.	माचिस	1

उल्लेखनीय है कि ऐसी कोई आवश्यक सामग्री जो मूलतः आपूर्ति नहीं की गई हो लेकिन अपरिहार्य कारण से उसकी जरूरत पड़ जाए, तो पीठासीन पदाधिकारी उसी स्थान पर व्यवस्था करेगें और यदि व्यय करना पड़े तो व्यय भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। स्पष्ट है कि ऐसा अवसर विरल होता है।

Skumar 29/06/22   30/06/22   30.6.22

265

अत्यावश्यक

पंचायत आम निर्वाचन, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक - पं0नि0 30-10/2019 - 2907

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 4.8.21

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त मतदान सामग्रियों की व्यवस्था के संबंध में।
प्रसंग : आयोग का पत्रांक 1045 दिनांक 26.02.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त मतदान सम्पन्न कराने हेतु विभिन्न मतदान सामग्रियों की व्यवस्था करने हेतु निदेश दिये गये थे।

विदित हो कि ग्राम पंचायत के चार पद, यथा- ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य को पदों पर निर्वाचन/मतदान M2 ई.वी.एम. के माध्यम से तथा ग्राम कचहरी के दो पद, यथा- सरपंच एवं पंच का निर्वाचन/मतदान मतपत्र के माध्यम सम्पन्न कराये जायेंगे। M2 ई.वी.एम. (बी.यू. एवं सी.यू.) जिलों को आवंटित कर दिये गये हैं एवं मतपेटिकाओं की तैयारी एवं आकलन संबंधी निदेश दिये जा चुके हैं।

उक्त परिप्रेक्ष्य में ई.वी.एम. एवं मतपेटिका के माध्यम से मतदान कराये जाने हेतु मतदान सामग्रियों की व्यवस्था किया जाना है। जिनमें आयोग द्वारा निम्नांकित मतदान सामग्रियाँ आपूर्त्ति की जायेंगी :-

1. सरपंच एवं पंच पद हेतु मतपत्र;
2. ई.वी.एम. पॉवर पैक;
3. अमिट स्याही 'मार्कर पेन';
4. मतदाता पंजी;
5. पीठासीन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका;
6. ऐड्रेस टैग (बी.यू. एवं सी.यू.);
7. वोटिंग स्टीक;
8. स्पेशल टैग;
9. स्ट्रीप सील;
10. पिंक पेपर सील (बी.यू. एवं सी.यू. कमिशनिंग हेतु)

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

D:\pm5\P_E_Meterial_21/6

2.8.21

264

11. ग्रीन पेपर सील;
12. सेक्रेट सील एवं
13. मतगणना अनुदेश पुस्तिका।

उपरोक्त सामग्रियों के अतिरिक्त पत्र के साथ संलग्न सूची के अनुसार मतदान सामग्रियों को जिला स्तर पर क्रय/व्यवस्था की जानी है। विदित हो कि ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद के सदस्य पद हेतु मतदान M2 ई.वी.एम. के माध्यम से होना है, जिसके लिए मतपत्र का मुद्रण जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जायगा।

अनुरोध है कि मतदान सामग्रियों की व्यवस्था बिहार वित्त नियमावली का अनुपालन करते हुए ससमय करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक- पं0नि0 30-10/2019 - 2907 पटना, दिनांक - 5.8.21

प्रतिलिपि, श्री राजेश कुमार, आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक- पं0नि0 30-10/2019 - 2907 पटना, दिनांक - 5.8.21

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक- पं0नि0 30-10/2019 - 2907 पटना, दिनांक - 5.8.21

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

D:\pm5\P_E_Meterial_21/7

प्रति मतदान केन्द्र के आधार पर इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन एवं मतपेटिका द्वारा मतदान कराये जाने के निमित्त जिला स्तर से क्रय किये जाने वाले सामग्रियों की सूची

1.	मतदाता सूची की वर्किंग प्रतियाँ	4
2.	मतदाताओं की पर्ची	1 (निर्वाचकों की संख्या पर निर्भर)
3.	मतपत्र (निविदत्त मतों के लिए)	20
4.	स्टाम्प पैड (बैगनी पर्पल रंग)	2
5.	पीठासीन पदाधिकारी की डायरी का क्रमांकित प्रपत्र	1
6.	मेटल सील (पी.)	1 (पीठासीन पदाधिकारी के लिए)
7.	मेटल सील (आर.)	1 (निर्वाची पदाधिकारी के लिए)
8.	माचिस	1
9.	मतपत्र हेतु प्रभेदक रबड़ की मुहर	1
10.	बी.यू. एवं सी.यू. पर चिपकाने हेतु पदवार स्टीकर	

11. वोटिंग कम्पार्टटमेन्ट –

ई.वी.एम. से होने वाले ग्राम पंचायत के चार पदों के लिए अलग-अलग चार तथा ग्राम कचहरी के दो पदों पर मतपत्र से होने वाले मतदान हेतु एक अर्थात कुल पाँच वोटिंग कम्पार्टमेन्ट एवं उस पर चिपकाने/ लगाने हेतु पदवार स्टीकर/ साईनेज

12. फार्म

(1)	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची	1
(2)	अभ्याक्षेपित मतों की सूची (प्रपत्र-14).	2
(3)	दृष्टिहीन/ निःशक्त मतदाताओं की सूची (प्रपत्र-15)	2
(4)	निविदत्त मतों की सूची (प्रपत्र -16)	2
(5)	(क) ई.वी.एम. में रिकार्ड किए गए मतों का लेखा का प्रारूप (प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग)	10
	(ख) मतपेटिका में किये गये मतों का मतपत्र लेखा (प्रपत्र-17) (पंच एवं सरपंच पद के लिए अलग-अलग)	4
	(ग) मतपेटिका हेतु पेपर सील लेखा (प्रपत्र 18) प्रति मतपेटी 2	4
(6)	चुनौती दिए गए मतों का शुल्क जमा करने के लिए रसीद पुस्तक	1
(7)	पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अभ्याक्षेपित मतदान से संबंधित थाना प्रभारी का दिए जाने वाले शिकायत पत्र का प्रारूप	4
(8)	(क) ई.वी.एम. से मतदान प्रारम्भ होने तथा मतदान समाप्त होने के पूर्व पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा का प्रारूप (भाग-I, II, III एवं IV)	2
	(ख) मतपत्र-मतपेटिका से मतदान प्रारम्भ होने तथा मतदान समाप्त होने के पूर्व पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा का प्रारूप (भाग-1,2 एवं 3)	2
(9)	दृष्टिहीन/ निःशक्त मतदाताओं के सहायक द्वारा घोषणा	4
(10)	मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति (प्रपत्र-11)	10
(11)	मॉक पोल सर्टिफिकेट	1
(12)	वोटर टर्न आऊट प्रपत्र	1
(13)	वीजीट शीट	1
(14)	चेक लिस्ट	1

262

13.	पर्याप्त संख्या में छोटे एवं बड़े लिफाफे	50 (छोटा) एवं 4 (बड़ा लिलेन स्तर दिया हुआ)

(जहाँ लिफाफे आकार में छोटे हों वहां पैकिंग पेपर का उपयोग किया जा सकता है एवं जहां मुद्रित लिफाफे उपलब्ध नहीं हों, वहां सादे लिफाफे का उपयोग किया जा सकता है तथा उस पर लाल स्याही से प्रयोजन लिख दिया जाएगा, आवश्यकतानुसार छोटा लिफाफा की अतिरिक्त व्यवस्था की जा सकती है)

14. प्रदर्शन पट (ए-4 साईज में)
(क) पीठासीन पदाधिकारी
(ख)मतदान पदाधिकारी
(ग) प्रवेश
(घ) बाहर
(ङ) मतदान अभिकर्ता

15. लेखन एवं अन्य सामग्री

1.	सामान्य पेंसिल	1
2.	बॉल पेन	3 नीला 1 लाल
3.	सादा कागज	8 ताव
4.	पिन	25 अदद
5.	सील करने हेतु लाह	6 अदद
6.	गोंद	1 बोतल
7.	ब्लेड	1
8.	मोमबत्ती	4
9.	पतला दोहरा धागा	20 मीटर
10.	धातु की पटरी	1
11.	कार्बन पेपर	3
12.	तेल आदि हटाने के लिए कपड़ा या चिथड़ा	3
13.	पैकिंग पेपर	2 ताव
14.	लचकदार तार	1 मीटर
15.	पुशर	1
16.	मतपेटिका में लगने वाले पेपर सील को मजबूती देने के लिए कार्ड बोर्ड (पर्ची आकार में)	3
17.	ड्रबिंग पिन	24 अदद
18.	चेक लिस्ट	-----
19.	रबड़ बैन्ड	20 अदद
20.	सेलो टेप	1
21.	मतपेटिका बाँधने हेतु रीबन	

टिप्पणी -

(1) मतदान के पश्चात उपर्युक्त सामग्रियों में से निम्नलिखित बची हुई सामग्रियां जिला निर्वाचन कार्यालय को लौटा दी जानी चाहिए :-

(क) स्टाम्प पैड

(ख) पीठासीन पदाधिकारी की धातु की मुहर

(ग) प्लास्टिक स्टिक मुहर

(घ) वोटिंग कम्पार्टमेन्ट

(ङ) धातु की पट्टी

(च) प्रभेदक रबड़ मुहर

(ज) अन्य वस्तुएं जिनको पुनः उपयोग में लाया जा सकता है

(2) ऐसी कोई आवश्यक सामग्री जो मूलतः नहीं आपूर्ति की जा सकती हो अथवा अपरिहार्य कारण से उसकी जरूरत पड़ जाए, तो पीठासीन पदाधिकारी उसी स्थान पर व्यवस्था कर ले सकते हैं और यदि व्यय करना पड़े तो व्यय भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। स्पष्ट है कि ऐसा अवसर विरल होता है ।

—